भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1717

उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 02, मार्च 2020

12 फाल्गुन, 1941 (शक)

चांदनी चौक क्षेत्र में हवेलियों को धरोहर का दर्जा देना

1717. श्री जसबीर सिंह गिल:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में कई ऐसी हवेलियों/भवनों जो अलंकृत निर्माणकला का नमूना हैं लेकिन वर्तमान में जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं, को धरोहर का दर्जा देने का कोई विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की कुछ भवनों का अधिग्रहण कर उन्हें उनके अतीत के गौरवपूर्ण स्वरूप में पुनर्स्थापित करने की मंशा है;
(ग) यदि हां, तो चांदनी चौक क्षेत्र की पुनर्विकास योजना का ब्यौरा क्या है और पर्यटकों के लिए इसे और अधिक सुगम्य बनाने के लिए पुरानी दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर क्या कार्य किए जा रहे हैं;
(घ) क्या सरकार को इस क्षेत्र में किए जा रहे पुनर्विकास प्रयासों के लिए व्यापारियों और दुकानदारों के विरोध का सामना करना पड़ा है; और
(ङ) पुरानी दिल्ली क्षेत्र में शुरू किए गए उन विकास कार्यों की समय-सीमा क्या है जो वहां मात्र ओवरहेड तारों को हटाने, पैदल मार्ग को बहाल करने और क्षेत्र के हरितीकरण कार्य से इतर हैं?

उत्तर

संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): वर्तमान में इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख): ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ड.): पुनर्विकास का मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है।